FORM – 21 C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN (State). from the (087) SIKRAI Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-MAMTA BHUPESH. (Name) Village Sikandra, Tehsil Sikrai, District-Dausa. (Address) sponsored by Indian National Congress (name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- DAUSA

Date:- 11TH December 2018

(MEENAKSHI MEENA)

Returning Officer

(087) SIKRAI Assembly constituency (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, SIKRAI) Distt.-Dausa (Rajasthan)

प्रारुप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान सर्विरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(087) सिकराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—श्री/श्रीमती ममता भूपेश (नाम) गांव सिकन्दरा, तहसील सिकराय , जिला दौसा (पता) ¹(जो इंडियन नेशनल कॉग्रेस.(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए/की गई) उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए है/हो गई है।

स्थान :–दौसा

तारीख :- 11 दिसम्बर, 2018

(मीनाक्षी मीना) रिटर्निंग अधिकारी

(087) सिकराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एस.डी.एम. सिकराय जिला दौसा